

## असम मवेशी संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2021

### प्रलिस के लयः

राज्य के नीतनररदेशक सदरधांत (अनुच्छेद 48)

### मेन्स के लयः

गाय संरक्षण कानून, असम मवेशी संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2021

### चरचा में क्यॉं?

हाल ही में एक गाय संरक्षण कानून (असम मवेशी संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2021) जससे असम ने एक साल पहले लागू कयल था, ने मेघालय में एक तीव्र बीफ संकट पैदा कर दयल है।

- यह धयान रखना महत्त्वपूर्ण है क अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मज़ोरम और नगालैंड जैसे उत्तर-पूर्वी राज्यों में मवेशियों के वध को नररंतरत करने वाला ऐसा कोई कानून नहीं है।

### अधनियम से जुड़ी प्रमुख वशेषताएँ और चुनौतयलः

प्रमुख वशेषताएँ	प्रमुख चुनौतयलः
<ul style="list-style-type: none"> <li>यह अधनियम गायों के वध पर रोक लगाता है।</li> <li>यह अन्य मवेशियों (बैल, साँड़ और भैंस) के वध की अनुमत देता है, यदल मवेशी 14 वर्ष से अधकल उमर के हैं या चोट या वकृतल के कारण स्थायी रूप से अक्षम हो गए हैं।</li> <li>यह अनुमत वाले स्थानों को छोड़कर मवेशियों के अंतर-राज्य और अंतर-राज्यीय परवहन तथा गोमांस की बकुरी को भी प्रतबधत करता है।</li> <li>संबंधत प्राधकलरण अधनियम के तहत अपराधों के लयल इस्तेमाल कयल गए मवेशियों और वाहनों का नररक्षण व ज़बती कर सकतल है।</li> <li>दोष सदध होने पर ज़बत कयल गए मवेशियों और वाहनों को राज्य सरकार को सौंप दयल जाएगा।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>अधनियम असम के माध्यम से परवहन पर प्रतबधत के कारण भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में मवेशियों के परवहन को अनुचत रूप से सीमत करता है।</li> <li>अधनियम असम से उन राज्यों में पशु परवहन को प्रतबधत करता है जहाँ पशु वध को वनयलमत नहीं कयल गया है।</li> <li>अभयुकुत के लयल सुनवाई के दौरान ज़बत मवेशियों के रखरखाव की लागत का भुगतान करने की आवशकतल कठनल हो सकतल है।</li> <li>उन जगहों पर प्रतबधत जहाँ गोमांस बेचा जा सकतल है, वास्तव में पूरे राज्य में गोमांस की बकुरी पर प्रतबधत के समान और बहुत वयापक हो सकतल है।</li> </ul>

### गौ वध पर प्रतबधत क्यॉं?

- संवधन के तहत [राज्य के नीतनररदेशक सदरधांत \(अनुच्छेद 48\)](#) में प्रावधान है कल राज्य कृषल और पशुपालन को आधुनकल और वैज्ञानकल तरज पर संगठत करने का प्रयास करेगा, नसल्लों में सुधार के लयल कदम उठाएगा और गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाएगा व पशु मसौदा तैयार करेगा।
- इसी क्रम में 20 से अधकल राज्यों ने मवेशियों (गायों, बैल तथा साँड़) तथा भैंसों के वध को वभनन सतर तक सीमत करने वाले कानून पारत कयल हैं।

### नयायपालकल की रायः

- समय के साथ इन राज्य कानूनों के तहत नषध की सीमा सर्वोच्च नयायलय के नररणयों द्वारा नररदेशतल की गई है।
  - इससे पहले मध्य प्रदेश (1949), बहलर (1955) और उत्तर प्रदेश (1955) जैसे राज्यों के कानूनों ने मवेशियों के वध पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी।
- वर्ष 1958 में इन तीन कानूनों की जाँच करते हुए सर्वोच्च नयायलय ने कहा कल मवेशियों के वध पर पूर्ण प्रतबधत कसाई के अपने वयापार या पेशे का

अभ्यास करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।

◦ यह माना गया कि जबकि गायों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध संवैधानिक रूप से मान्य था, बैल, साँड़ और भैंस के वध पर प्रतिबंध केवल एक नशिचति सीमा तक ही हो सकता है, या उनकी उपयोगिता (दूध, प्रजनन के लिये) पर आधारित हो सकता है।

- वर्ष 1994 में गुजरात ने सभी उमर के साँड़ और बैलों के वध पर रोक लगाने के लिये एक संशोधित कानून पारित किया।
- वर्ष 2005 में सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने न्यायालयों के पूर्व के नरिण्यों के विपरीत **गुजरात संशोधन कानून** के तहत साँड़ों (Bulls) और बैलों (Bullocks) के वध पर पूर्ण प्रतिबंध को बरकरार रखा।
- हाल के वर्षों में **छत्तीसगढ़ (2004), मध्य प्रदेश (2004), महाराष्ट्र (2015), हरियाणा (2015) और कर्नाटक (2021)** जैसे राज्यों ने भी सभी उमर के साँड़ों और बैलों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया है।

## गाय संरक्षण हेतु पहल:

- [राष्ट्रीय गोकुल मशिन](#)
- [गोकुल ग्राम](#)
- [पशु संजीवनी](#)
- [राष्ट्रीय बोवाइन उत्पादकता मशिन](#)

## स्रोत: द हट्टि

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/assam-cattle-preservation-act-2021>

